

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
बिहार, पटना

पटना, दिनांक नवम्बर, 2016

विषय:- CCTNS परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा State project Management unit के रूप में चयनित M/s Deloitte संस्था द्वारा समर्पित 07 नवम्बर, 2015 से 06 नवम्बर, 2016 तक के कुल चार क्वार्टर के Invoice का भुगतान करने हेतु ₹ 69,64,972.00 (उनहत्तर लाख चौसठ हजार नौ सौ बहत्तर रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ₹ 67,95,467.00 (सड़सठ लाख पंचानवे हजार चार सौ सड़सठ रू0) मात्र विमुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक नोडल पदाधिकारी, सी0सी0टी0एन0एस0, बिहार, पटना का पत्रांक-10/ CCTNS/Budget/2015, दिनांक 20.01.2017, पत्रांक-21/ CCTNS/Budget/2015, दिनांक 08.02.2017, पत्रांक-26/ CCTNS/Budget/2015, दिनांक 21.02.2017 एवं पत्रांक-38 / CCTNS/ Budget/2015, दिनांक 09.03.2017 के आलोक में CCTNS परियोजना के क्रियान्वयन हेतु State project Management unit के रूप में M/s Deloitte संस्था द्वारा समर्पित 07 नवम्बर, 2015 से 06 नवम्बर, 2016 तक के कुल चार क्वार्टर के Invoice का भुगतान करने हेतु ₹ 69,64,972.00 लाख (उनहत्तर लाख चौसठ हजार नौ सौ बहत्तर रू0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्प्रति ₹ 67,95,467.00 लाख (सड़सठ लाख पंचानवे हजार चार सौ सड़सठ रू0) मात्र विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. CCTNS परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा State project Management unit के रूप में चयनित M/s Deloitte संस्था द्वारा समर्पित 07 नवम्बर, 2015 से 06 नवम्बर, 2016 तक के Invoice का विवरण निम्नप्रकार है:-

Sl.	Invoice/Bill No.	Date	Period	Amount
1.	2850003894	30.09.2016	07.11.2015 to 06.05.2016	34,82,485.57
2.	2850004673	23.12.2016	07.05.2016 to 06.11.2016	34,82,485.57
Total				69,64,971.14
Round off				69,64,972.00
(Sixty Nine Lakh Sixty Four Thousand Nine Hundred Seventy two Rupees Only)				

3. उपर्युक्त राशि की निकासी योजना मद में मांग सं0-22 के मुख्यशीर्ष-2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण, उपशीर्ष-0203-पुलिस तथा अन्य बलों का आधुनिकीकरण, विषयशीर्ष-52 01-मशीनें एवं उपस्कर तथा विपत्रकोड-P2055001150203 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा।

रा.स.स.
27/11/16

4. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।
5. बिहार कोषागार संहिता 2011 में विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।
6. राशि निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यकतानुसार कागजातों को संलग्न किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।
8. उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अन्तर्गत समर्पित किया जायेगा।
9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।
10. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-6/आधु0-01-13/2016गृ0आ0 के पृष्ठ सं0-24/टि0 पर दिनांक-24.03.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/आधु0-01-13/2016गृ0आ0.....2532...../ पटना, दिनांक 27.03.2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, एस0सी0आर0बी0-सह-नोडल पदाधिकारी, सी0सी0टी0एन0एस0, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
27/03/17
सरकार के अवर सचिव
दिनेश